बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संकल्प

विषयः- राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में रोगियों को पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में रोगियों को स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाई जा रही है । इन सरकारी अस्पतालों में मरीज भी काफी संख्या में आकृष्ट हो रहे है ।

2. विभागीय संकल्प सं0 383 (12) दिनांक 09.07.09 के द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से निजि क्षेत्रों की भागीदारी से रोगियों को रेडियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल से संबंधित निःशुल्क जांच का निर्णय लिया गया है जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक निम्नांकित जांच की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है :-

(क) पैथोलॉजिकल जांच की सुविधा ।

(ख) रेडियोलॉजिकल जांच की सुविधा ।

उपर्युक्त सुविधाएं अस्पतालों में स्थापित जॉच की सुविधा अथवा जिस अस्पताल में निजि क्षेत्रों की भागीदारी से उपलब्ध है उस अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा रेफर किये जाने पर उक्त संस्थानों द्वारा रोगियों को निःशुल्क सुविधा दिये जाने का प्रावधान है । गैर सरकारी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा जांच के प्रिसक्रिप्सन पर ऐसी सुविधा मुफ्त नहीं दिये जाने का प्रावधान है ।

3. सरकार द्वारा इस विषय पर पुनः गंभीरता से विचार किया गया और यह पाया गया कि उपरोक्त संकल्प के अनुसार देय सुविधाओं के अतिरिक्त इस प्रकार की सुविधा राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में भी उपलब्ध करायी जाए क्योंकि काफी संख्या में जिला स्तर से चिकित्सा हेतु मरीज चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में भेजे जाते हैं । राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में वहां के चिकित्सक के परामर्श एवं उनके द्वारा प्रेसक्रिप्सन पर रेफर किये जाने के बाद यह सुविधा उन चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी । ये सुविधायें इन चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में अन्तर्वासी मरीजों के लिए भी उपलब्ध होंगी । यह सुविधा सरकारी एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से निजी संस्थानों द्वारा की जा रही जांच दोनों पर लागू होगी तथा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी परन्तु सिटी स्कैन एवं एम0आर0आई0 की जांच सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर की जायेगी ।

737(12) 24.8.10

वर्तमान में यह सुविधा बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 दोनों श्रेणी के मरीजों को उपलब्ध होगी ।

अतः उपरोक्त के आलोक में राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में उपलब्ध अपनी सुविधा एवं उन संस्थानों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से निजी क्षेत्रों की भागीदारी से प्राप्त सुविधा में सभी कोटि के मरीजों को पैथोलॉजिक एवं रेडियोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है ।

4. <u>संभावित व्यय भारः-</u> चूंकि उपर्युक्त जांच निःशुल्क कराने का प्रस्ताव है । अतः रोगियों की संख्या में तीनगुना वृद्धि होने का अनुमान है जिसके फलस्वरूप इन चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में Reagents एवं Consumables की खपत की मात्रा में वृद्धि होगी । सम्प्रति इस निमित्त राशि गैर-योजना से सामग्री एवं पूर्तियां मद से उपलब्ध करायी जाती है । विभाग द्वारा किये गये आकलन के आधार पर सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के लिए प्रतिवर्ष सम्भावित अतिरिक्त व्यय छः करोड़ रूपये होगा । गैर योजना बजट के माध्यम से राशि Reagents एवं Consumables तथा आउटसोर्सिंग एवं अन्य मद के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ।

5. <u>सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रियाः-</u> विभागीय संकल्प सं0 383 (12) दिनांक 09.07.2009 के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नीजी क्षेत्रों की भागीदारी से रोगियों के रेडियोलॉजिकल एवं पैथोलॉजिकल से संबंधित निःशुल्क जांच के लिए निर्धारित प्रकिया के अनुसार ही राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी । सिटीस्कैन एवं एम0आर0आई0 की जांच निर्धारित शुल्क पर की जायेगी ।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपर्युक्त संकल्प की पांच सौ प्रतियां बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए तथा विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

(महाशंकर मिश्र) 24/8/10
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-12/प0-08-07/09-737(12)/पटना, दिनांक - 24.08.10

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । निदेश है कि इस संकल्प की पांच सौ प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-12/प0-08-07/09- 737(12) /पटना, दिनांक - 24.08.10

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-12/प0-08-07/09- 737(12) /पटना, दिनांक - 24.08.10

प्रतिलिपि-मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के सचिव/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के आयुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-12/प0-08-07/09- 737(12)/पटना, दिनांक - 24.08.10

प्रतिलिपि-सरकार के सभी विभाग/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी जिला उप विकास आयुक्त/ कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/सभी अनुमंडलीय /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं /सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।